देहरादून, उत्तराखण्ड

गोरखपुर एनवायरन्मेन्टल एक्शन ग्रुप,
गोरखपुर

मानक प्रचालन कार्यविधि

परिवहन विभाग,
उत्तराखण्ड

देहरादून, उत्तराखण्ड

नोट

मानक प्रचालन कार्यविधि

परिवहन विभाग,
उत्तराखण्ड

देहरादून, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड राज्य

विवरणिका

1. संदर्भ

2. उद्देश्य

3. पूर्व तैयारी क्रिया
   - 3.1 संस्थागत भूमिका एवं जिम्मेदारियों का निर्धारण
   - 3.2 जोखिम आकलन
   - 3.3 संसाधन मानचित्रण
   - 3.4 क्षमतावर्धन व माकड्रिल का आयोजन

4. सूचना का प्रवाह व क्रियाशीलता हेतु मार्ग निर्देश

5. दिशा-निर्देशन एवं समन्वयन
   - 5.1 पहले से चेतावनी मिलने की स्थिति में सक्रियता
   - 5.2 पूर्व चेतावनी न मिलने की स्थिति में सक्रियता

6. आपदा के दौरान की जाने वाली गतिविधियों की प्रक्रिया

7. आपदा के बाद की जाने वाली गतिविधियों की प्रक्रिया
   - 7.1 प्रशासनिक कार्य
   - 7.2 लेखा सम्बन्धी कार्य

8. सुझाव

9. चेकलिस्ट

1. संदर्भ

आपदाओं के बाद राहत एवं बचाव कार्यों के दौरान घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाने, बचाव व राहत कार्यों में लगी आपदा प्रबन्धन टीमों को घटना स्थल तक पहुंचाने, वापस ले जाने तथा जीवन रक्षक आवश्यक राहत सामग्रियों को प्रभावितों तक पहुंचाने आदि के लिए वाहनों की आवश्यकता होती है। इन वाहनों को उपलब्ध कराने की दृष्टि से परिवहन विभाग आपदा प्रबन्धन की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण विभाग है। आपदा के दौरान वाहनों की सुगम उपलब्धता के लिए वाहनों के रख–रखाव, प्रबन्धन आदि से सम्बन्धित दिशा–निर्देश आयुक्त, परिवहन विभाग द्वारा जारी किये जाते हैं। इसके साथ ही आपदा प्रबन्धन विभाग/आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा विभाग को आपदा प्रबन्धन द्वारा समय–समय पर दिशा–निर्देश जारी किये जाते हैं। उन्हीं दिशा–निर्देशों को व्यवस्थित क्रम प्रदान करते हुए परिवहन विभाग की मानक प्रचालन कार्यविधि (Standard Operating Procedure) तैयार की गयी है। विभाग की यह मानक प्रचालन कार्यविधि इस अर्थ में भी महत्वपूर्ण है कि इसके माध्यम से आपदा के विभिन्न चरणों में विभाग अपनी सेवाएं गुणवत्तापूर्ण तरीके से प्रभावितों तक पहुंचा सकेगा।

2. उद्देश्य

विभाग की मानक प्रचालन कार्यविधि बनाने के निम्नवत् उद्देश्य हैं –

- विभाग के अन्दर राज्य से लेकर जनपद स्तर तक सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के बीच अपने कार्यों एवं जिम्मेदारियों के प्रति स्पष्टता होना।
- राज्य एवं जनपद स्तर पर आपदा प्रबन्धन से जुड़े अन्य विभागों के साथ समन्वय।
- वाहनों की समय से सुचारू उपलब्धता होना।

3. पूर्व तैयारी क्रिया

विभाग द्वारा पूर्व तैयारी क्रिया के अन्तर्गत निम्न गतिविधियां सम्पादित की जायेंगी –

3.1 संस्थागत भूमिका एवं जिम्मेदारियों का निर्धारण

- सचिव, आपदा प्रबन्धन विभाग के निर्देशन के आलोक में आयुक्त, परिवहन विभाग द्वारा अप्रैल माह तक राज्य से लेकर जनपद स्तर तक विभाग के अन्दर आपदा प्रबन्धन टीम का गठन कर नोडल अधिकारी की तैनाती सुनिश्चित की जायेगी ताकि अन्य विभागों के साथ समन्वय स्थापित किया जा सके। राज्य स्तर पर अपर परिवहन आयुक्त तथा जनपद स्तर पर ए0आर0टी0ओ0 प्रशासन आपदा नोडल अधिकारी होंगे।

- राज्य आपदा नोडल अधिकारी के निर्देशन में सभी आर0टी0ओ0/ए0आर0टी0ओ0 प्रशासन/विभागीय नोडल अधिकारियों के बीच व्हाट्स–अप ग्रुप तैयार कर लिया जायेगा ताकि आपदा से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की सूचनाएं आसानी से कम समय के अन्दर सभी लोगों तक पहुंचायी जा सकें।

- संवेदनशील जनपदों के आर0टी0ओ0/ए0आर0टी0ओ0 प्रशासन आस– पास के सम्भागों/ जनपदों में स्थित आर0टी0ओ0/ए0आर0टी0ओ0 आफिसों से अप्रैल माह तक समन्वय स्थापित कर लेंगे ताकि आपदा की स्थिति में आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त वाहनों को लिया जा सके।

- आपदा के दौरान अधिग्रहित किये जाने वाले वाहनों की किराये की दरों का निर्धारण माह अप्रैल तक राज्य परिवहन प्राधिकरण शासन के माध्यम से सुनिश्चित करायेगा।

- आपदा के दौरान प्रभावी रिस्पान्स करने हेतु ए0आर0टी0ओ0 प्रशासन/ए0आर0टी0ओ0 प्रवर्तन जिला पूर्ति अधिकारी व पुलिस विभाग के साथ समन्वय स्थापित करेंगे।

- अप्रैल माह तक ए0आर0टी0ओ0 प्रशासन सभी विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों की नाम, पते व सम्पर्क न0 सहित सूची तैयार करेंगे, उसे अद्यतन करेंगे और जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को सौंपना सुनिश्चित करेंगे।

3.2 जोखिम आकलन

- राज्य में आपदा की दृष्टि से सर्वाधिक संवेदनशील जनपदों व जनपदों के अन्तर्गत सर्वाधिक संवेदनशील विकासखण्डों/ क्षेत्रों/ मार्गों की पहचान मार्च–अप्रैल माह तक कर ली जायेगी। इस कार्य के लिए राज्य स्तर पर अपर परिवहन आयुक्त तथा जनपद स्तर पर ए0आर0टी0ओ0 प्रवर्तन उत्तरदायी होंगे।

- आर0टी0ओ0/ए0आर0टी0ओ0 संभागों व जनपदों के समस्त कच्चे–पक्के, मोटरेबल तथा पैदल मार्गों की सूची जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण से प्राप्त करेंगे।

3.3 संसाधन मानचित्रण

- मार्च माह तक ए0आर0टी0ओ0 प्रशासन सभी सरकारी विभागों के पास उपलब्ध स्वयं के अथवा किराये के वाहनों की सूची मंगाकर अद्यतन करेंगे।

- सभी संभागों/जनपदों के आर0टी0ओ0/ ए0आर0टी0ओ0 प्रशासन फरवरी/मार्च माह तक जनपद के अन्दर पंजीकृत सभी छोटे–बड़े वाहनों एवं उनके स्वामियों की सूची सम्पर्क नम्बर सहित तैयार करेंगे और विभाग के राज्य मुख्यालय पर संकलित किया जायेगा।

- जनपद स्तर पर ए0आर0टी0ओ0 प्रशासन सभी बड़े एवं उपयोगी वाहनों जैसे – जेसीबी, ट्रक, एम्बुलेन्स आदि की सूची वाहन नम्बर एवं मालिकों के नाम व सम्पर्क नम्बर सहित तैयार कर उसकी प्रति जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण व जनपद पुलिस नियंत्रण कक्ष में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

- विगत आपदाओं एवं उसकी प्रकृति को ध्यान में रखते हुए आर0टी0ओ0/ए0आर0टी0ओ0 प्रशासन मानसून से पहले इस बात का प्रयास करेंगे कि आपदा की पूर्व चेतावनी के आधार पर वाहनों का अधिग्रहण आदेश पूर्व में ही विभाग को पहुंचा दिया जाये ताकि रिस्पान्स के दौरान प्रभावी कार्य सुनिश्चित किया जा सके।

- अप्रैल माह तक आर0टी0ओ0/ ए0आर0टी0ओ प्रशासन विभाग के पास जनपद स्तर पर उपलब्ध सभी मानव एवं भौतिक संसाधनों की सूची तैयार कर, अपडेट कर उसे जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/ सूचना विभाग के माध्यम से एस0डी0आर0एन0/आई0डी0आर0एन0 बेवसाइट पर अपलोड करायेंगे।

3.4 क्षमतावर्धन व माकड्रिल का आयोजन

- आपदा प्रबन्धन कार्यालय द्वारा आपदा से बचाव हेतु समय–समय पर राज्य एवं जनपद स्तर पर आयोजित किये जाने वाले पूर्वाभ्यासों में परिवहन विभाग के सम्बन्धित अधिकारियों को आर0टी0ओ0 नामित करेंगे व सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करेंगे।

- व्यावसायिक वाहनों के चालकों को प्रशिक्षण के दौरान आपदा से निपटने तथा फर्स्ट एड विषय पर प्रशिक्षित किया जायेगा।

4. सूचना का प्रवाह व क्रियाशीलता हेतु मार्ग निर्देश

विभाग के अन्दर आपदाओं के सन्दर्भ में सूचना का प्रवाह उपर से नीचे की तरफ होगा। राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र राज्य स्तर पर आयुक्त परिवहन/आपदा नोडल अधिकारी, परिवहन विभाग को आपदा की सूचना देंगे, जहां से जनपद स्तर पर स्थित आर0टी0ओ0 कार्यालय को सूचना का प्रसार होगा। मण्डल स्तर पर आर0टी0ओ0 मण्डलायुक्त से निर्देशित होंगे और जनपद स्तर पर ए0आर0टी0ओ0 जिलाधिकारी/जिला प्रशासन/जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र से निर्देशित होंगे।

5. दिशा-निर्देशन एवं समन्वयन

आपदा के दौरान विभाग की सक्रियता दो परिस्थितियों में अलग–अलग होगी–

5.1 पहले से चेतावनी मिलने की स्थिति में सक्रियता

मौसम विभाग द्वारा आपदा की संभावना की चेतावनी 48–72 घण्टे पूर्व राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र को उपलब्ध कराई जाती है। राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र परिवहन विभाग के राज्य मुख्यालय को आपदा की पूर्व चेतावनी प्रसारित करते हुए तैयारियों का जायजा लेने का निर्देश देंगे। विभाग के राज्य मुख्यालय से चेतावनी का प्रसारण संभाग/जनपद स्तर पर स्थित आर0टी0ओ0 कार्यालय, आर0टी0ओ0, ए0आर0टी0ओ0 प्रशासन व ए0आर0टी0ओ0 प्रवर्तन को किया जायेगा और उन्हें तद्नुसार अपनी तैयारी पूर्ण करने का निर्देश भी जारी किया जायेगा।

5.2 पूर्व चेतावनी न मिलने की स्थिति में सक्रियता

आपदा की पूर्व चेतावनी का प्रसारण न होने की स्थिति में आपदा प्रभावित स्थल/जनपद के ए0आर0टी0ओ0 प्रशासन/ए0आर0टी0ओ0 प्रवर्तन जिलाधिकारी/जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र से निर्देश प्राप्त कर कार्य करेंगे। साथ ही आपदा की स्थितियों तथा विभाग द्वारा किये जा रहे कार्यों के बारे में विभाग के राज्य मुख्यालय को भी सूचित करेंगे।

6. आपदा के दौरान की जाने वाली गतिविधियों का प्रक्रिया

- आपदा घटित होने की सूचना मिलते ही आई0आर0एस0 के अन्तर्गत प्रत्येक स्तर पर गठित टीम के सदस्य सक्रिय हो जायेंगे और राज्य व जनपद स्तर पर आपातकालीन परिचालन केन्द्र से सम्पर्क स्थापित कर स्टेजिंग एरिया में पहुंचेंगे।

- आपदा के दौरान आर0टी0ओ0/ ए0आर0टी0ओ0 प्रशासन सम्भागीय/उप सम्भागीय कार्यालयों में नियंत्रण कक्ष स्थापित करेंगे और उनका राउण्ड द क्लाक संचालन सुनिश्चित करेंगे।

- आर0टी0ओ0/ए0आर0टी0ओ0 प्रवर्तन जिलाधिकारी से वाहनों का अधिग्रहण प्रारम्भ करने हेतु आदेश लेना सुनिश्चित करेंगे।

- ए0आर0टी0ओ प्रवर्तन गाड़ियां अधिग्रहण करने के लिए टीम का गठन करेंगे और जिलाधिकारी से प्राप्त अधिग्रहण आदेश के आधार पर गाड़ियों का अधिग्रहण करना प्रारम्भ कर देंगे।

- आर0टी0ओ0/ए0आर0टी0ओ0 प्रवर्तन आपदा के दौरान राहत व बचाव टीम को आपदा स्थल पर पहुंचाने, घायलों को ले जाने, खाद्यान्न पहुंचाने आदि के लिए वाहनों की व्यवस्था करेंगे।

- ए0आर0टी0ओ0 प्रवर्तन आपदा के दौरान अधिग्रहित वाहनों को अधिग्रहण स्थल से आपदा स्थल तक पहुंचने का रूट मैप/रास्ते की जानकारी भी उपलब्ध करायेंगे।

- आर0टी0ओ0/ए0आर0टी0ओ0 प्रशासन आपदा के प्रभावी रिस्पान्स के लिए जिला प्रशासन व जिला पूर्ति अधिकारी के सहयोग से आपदा के समय वाहनों में ईंधन की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

- आर0टी0ओ0 / ए0आर0टी0ओ0 प्रशासन आपदा के दौरान सरकारी वाहनों के उपयोग को प्राथमिकता देंगे।

7. आपदा के बाद की जाने वाली गतिविधियों का प्रक्रिया

आपदा बाद लेखा सम्बन्धी एवं अन्य विभिन्न प्रशासनिक कार्य व उनकी प्रकिया निम्नवत् होगी–

7.1 प्रशासनिक कार्य

- आपदा के बाद राहत एवं बचाव दलों को वापस गंतव्य तक पहुंचाने हेतु ए0आर0टी0ओ0 प्रवर्तन वाहन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे और पुनः अधिग्रहित गाड़ियों को वापस रिलीज करेगें।
- ए0आर0टी0ओ0 प्रवर्तन अधिग्रहित गाड़ियों की सूची तैयार कर जिला प्रशासन को भेजेंगे।
- ए0आर0टी0ओ0 प्रवर्तन जिला प्रशासन के निर्देशानुसार जिला पूर्ति अधिकारी के सहयोग से लाग बुक के अनुसार मानव दिवसों एवं डीजल के अनुमानित व्यय की जांच करेंगे।

7.2 लेखा सम्बन्धी कार्य

- ए0आर0टी0ओ0 प्रशासन अधिग्रहित गाड़ियों का निर्धारित दरों पर भुगतान जिला प्रशासन के सहयोग से सुनिश्चित करेंगे।
- अधिग्रहित गाड़ियों का नुकसान होने की स्थिति में वाहन स्वामी को उसकी भरपाई दिलाने हेतु जिला प्रशासन/प्रभारी दैवीय आपदा से समन्वय का काम आर0टी0ओ0 करेंगे।

8. सुझाव

- आपदा के लिए अधिग्रहित वाहनों के किराये की अलग से दर निर्धारित होनी चाहिए।
- अधिग्रहण अवधि में गाड़ियों के क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में क्षतिपूर्ति हेतु बीमा या कारपस फण्ड की व्यवस्था की जानी चाहिए।

9. चेकलिस्ट

यह प्रपत्र जिला परिवहन अधिकारी/ विभागीय आपदा नोडल अधिकारी द्वारा भरकर जिला प्रशासन/जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को प्रस्तुत किया जायेगा।

क.सं0	कार्यवाही जो की गई	हाँ/नहीं	टिप्पणी
1.	विभाग द्वारा निम्न संस्थाओं/अभिकरणों से संचार व्यवस्था की गयी है – क. राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र ख. जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र ग. राज्य विभागाध्यक्ष घ. सभी विभागीय जनपदीय कार्यालयों ड़. जिला अधिकारी/ जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण		
2.	जिला स्तर आपदा नोडल अधिकारी का चयन हुआ है।		
3.	जिला स्तर पर सभी संभागों/जनपदों के अधिकारियों के बीच व्हाट्स एप ग्रुप का गठन हुआ है।		
4.	सभी संवेदनशील जनपदों के वाहनों को आपदा की दृष्टि से चिन्हित किया गया है।		
5.	जिला नोडल अधिकारी का अन्य आवश्यक विभागों से समन्वय गठित किया गया है।		
6.	सभी सरकारी विभागों के वाहनों की सूची तैयार है।		
7.	सभी जे0सी0बी0 ट्रक, एम्बुलेन्स की सूची जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को प्रस्तुत की गई है।		
8.	विभागीय कर्मचारियों को आपदा की ट्रेंनिग समय–समय पर दी गई है।		
9.	विभागीय आपदा दल गठित किया गया है।		
10.	वाहनों के अधिग्रहण हेतु टीम का गठन किया गया है।		
11.	जिलाधिकारी/जिला प्रशासन से अधिग्रहण आदेश की प्रक्रिया पूरी की गयी है।		
12.	फर्स्ट एड बाक्स व फर्स्ट एड की जानकारी हेतु चालक दलों को जागरुक किया गया है।		
13.	उप–विभागीय स्तर पर नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गयी है।		
14.	सर्वाधिक संवेदनशील क्षेत्रों के मार्गों की पहचान नोडल अधिकारी द्वारा की गयी है।		

नोट

नोट